



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र



बिहार सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1

अध्याय-II

वाहनों पर कर

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों¹ तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है एवं मोटर वाहनों का निबंधन, फीस और कर का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का उत्तरदायित्व जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन होता है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाइयों की संख्या एवं प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना संबंधित सूचना हमें अप्राप्त (अक्टूबर 2016) हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान परिवहन विभाग के अंतर्गत 49 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ हैं, जिनमें से 35 इकाइयों को लेखापरीक्षा हेतु योजना में लिया गया तथा हमने 33 इकाइयों (डी.टी.ओ: 29, आर.टी.ए.: 2, एस.टी.सी: 1 एवं पी.एस.यू: 1) की लेखापरीक्षा की। हमने ₹ 94.57 करोड़ से सन्निहित 299 मामलों में राजस्व की कम वसूली, राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

¹ भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और वैशाली।

तालिका-2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

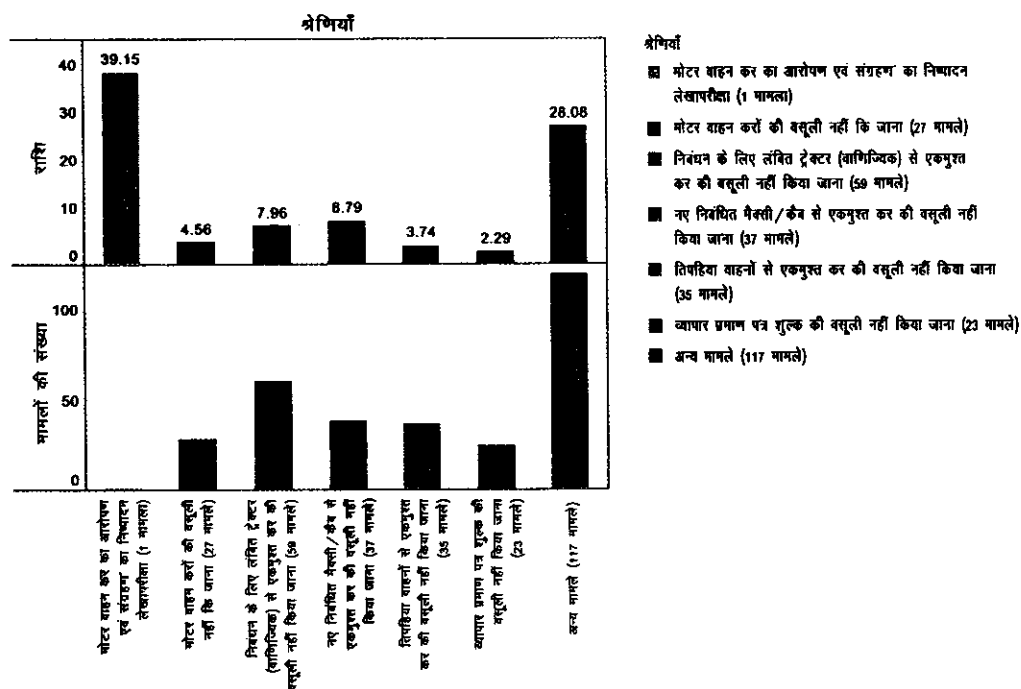
क्र.सं.	विवरण	मात्रा	₹ करोड़ में
1.	मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण का निष्पादन लेखापरीक्षा	1	39.15
2.	नए निबंधित मैक्सी/कैब से एकमुस्त कर की वसूली नहीं किया जाना	37	8.79
3.	निबंधन के लिए लंबित ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) से एकमुस्त कर की वसूली नहीं किया जाना	59	7.96
4.	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	27	4.56
5.	तिप्रहिया वाहनों से एकमुस्त कर की वसूली नहीं किया जाना	35	3.74
6.	व्यापार प्रमाण पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	23	2.29
7.	अन्य मामले	117	28.08

वर्ष 2015-16 के दौरान मोटर वाहन करों पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों का लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित चार्ट-2.1 में प्रदर्शित है:

चार्ट-2.1

लेखापरीक्षा के परिणाम (₹ 94.57 करोड़)

(₹ करोड़ में)



उपर्युक्त वर्णित मामलों में से विभाग द्वारा 11 मामलों में सन्निहित ₹ 7.22 करोड़ राजस्व का कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य त्रुटियाँ के मामले स्वीकार किये गये, जिसमें से ₹ 7.07 करोड़ से सन्निहित चार मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 48.57 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा अवलोकन तथा कुछ अन्य दृष्टांतस्वरूप लेखापरीक्षा अवलोकन निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रॉन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रॉन के कण का स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरुद्ध 280 के साथ शहर के वायु गुणवत्ता को "अत्यधिक अस्वास्थ्यकर" घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पष्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(कंडिका 2.4.9.1)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ों के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानकों का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा सिर्फ़ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अभिप्रमाणित हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्धि का कारण हो सकता है।

(कंडिका 2.4.9.2)

वैलिडेशन जाँच एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण फर्जी लेन-देन के 35 मामले (जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में) तथा मनी रसीद को अनियमित रूप से रद्द किये जाने के 81 मामले (पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में) थे। मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन-देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की अखंडता एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

(कंडिका 2.4.8)

वाहन सॉफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः-सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का

निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.10)

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में 3,188 अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच के बगैर ही ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिये गये थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस इंगित किया कि लाइसेंस जाँच उत्तीर्ण होने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लाइसेंस का इस तरह निर्गत किये जाने से दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

(कंडिका 2.4.11)

चूँकि विभाग जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अंतः-जुड़ाव में विफल रहा, अतः बगैर परमिट के तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बसों के परिचालन का पता नहीं चला।

(कंडिका 2.4.12)

शुल्क के रूप में संग्रहित ₹ 10.10 करोड़ की राशि, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान की अवहेलना करते हुये दो दिनों से 10 महीनों के विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषित की गई थी। पुनः विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट शुल्क के रूप में प्राप्त 596 बैंक ड्राफ्ट का नगदीकरण उनके वैधता अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.14)

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण किया जाता है। लाइसेंस हेतु शुल्क, वाहनों का निबंधन, योग्यता प्रमाणपत्र, परमिट तथा कम्पाउंडिंग अपराध हेतु दंड का आरोपण तथा वसूली, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

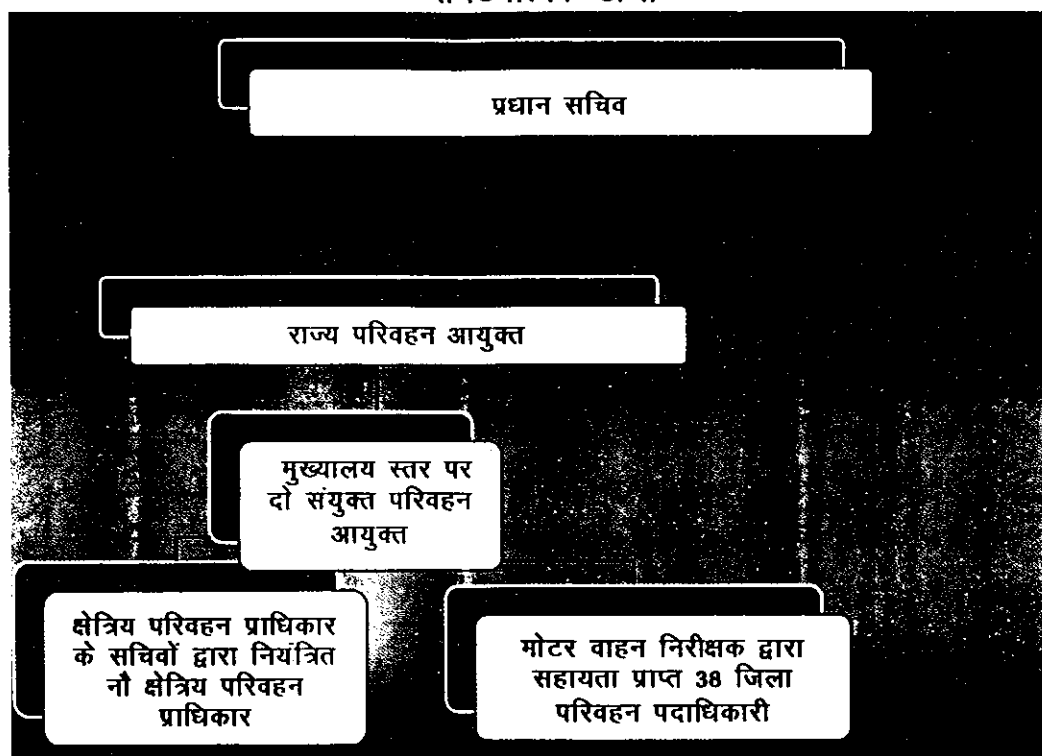
निबंधित मोटर वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंसों का एक राष्ट्रीय पंजी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा एजेन्सियों को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वाहन² एवं सारथी³ सॉफ्टवेयर अंगीकार करने का निदेश जारी किया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन. आई. सी.) नई दिल्ली द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। राष्ट्रीय पंजी के अतिरिक्त, इन सॉफ्टवेयरों का उद्देश्य मोटर वाहनों और लाइसेंसों की राज्य पंजी भी विकसित करना था। इन दोनों कम्प्यूटर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए क्रमशः मई 2008 एवं फरवरी 2009 से विभाग के कार्यकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया गया था। सर्वर के लिए विंडो 2000 तथा सभी क्लाइंट के लिए एक्स.पी. ऑपरेटिंग प्लेटफार्म था। वाहन सॉफ्टवेयर में वाहन निबंधन, वाहन निबंधन का नवीनीकरण, स्वामित्व का हस्तान्तरण, पते में बदलाव, बंधक (हार्डपोथिकेशन) का निराकरण, परमिट तथा कर इत्यादि विभिन्न माड्यूल थे तथा सारथी सॉफ्टवेयर में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन तथा नवीनीकरण करना विभिन्न माड्यूल था।

² वाहनों के निबंधन तथा पथ कर सामाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।
³ विभिन्न लाइसेंसों के निर्गमन हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

सरकार स्तर पर विभाग, प्रधान सचिव द्वारा प्रशासित है, जबकि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार विभाग के प्रधान हैं तथा अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर इनका सहयोग दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रों तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है, जो क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के सचिव तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों के नियंत्रण में हैं। जिला परिवहन पदाधिकारियों को उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न चार्ट-2.2 में दिया गया है।

चार्ट-2.2

संगठनात्मक ढांचा



इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था, कि क्या:

- मोटर वाहन करों, फीस एवं जुर्माना इत्यादि का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु अधिनियमों एवं उसके तहत बने नियमावलियों तथा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं, के प्रावधान को दक्षता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से लागू किये जा रहे थे; तथा
- विभाग के पास राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण तथा इसके सरकारी खाता में प्रेषण हेतु एक प्रभावी एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से ली गई है:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994;
- बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994;
- बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992;
- विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएँ, परिपत्रों, कार्यकारी और विभागीय आदेशों और निर्देशों;
- बिहार तथा ओड़ीशा लोक मॉग और वसूली अधिनियम, 1914;
- बिहार बजट प्रक्रिया; और
- बिहार वित्तीय नियमावली ।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन मार्च से जुलाई 2016 के दौरान किया गया। 38 जिला परिवहन कार्यालयों में से 10⁴, जिसमें तीन चेक पोस्ट⁵ शामिल हैं तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में से दो (मुजफ्फरपुर और पूर्णिया) का चयन रैण्डम रूप से इंटरैक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन विश्लेषण के माध्यम से वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सृजित राजस्व के आधार पर किया गया। दो जिला परिवहन कार्यालयों (कैमुर और सहरसा) को विभाग के अनुरोध पर चयनित किया गया। इसके अलावा राज्य परिवहन आयुक्त, जो मुख्यालय स्तर पर नियंत्री कार्यालय है, को भी निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में अभिलेखों की जाँच, विभाग से आँकड़े प्राप्त करना, लेखापरीक्षा ज्ञाप एवं प्रश्नावली निर्गत करना और लेखापरीक्षित कार्यालयों से निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए जवाब प्राप्त करना शामिल था। 29 मार्च, 2016 को आरंभिक सम्मेलन का आयोजन राज्य परिवहन आयुक्त के साथ की गयी, जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्य-पद्धति तथा लेखापरीक्षा उद्देश्य, जिसमें नमूने प्राप्ति की विधि सम्मिलित है, के बारे में विभाग को बताया गया। 6 अक्टूबर, 2016 को एक अंतिम सम्मेलन का आयोजन, राज्य परिवहन आयुक्त के साथ किया गया, जिसमें इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा की गयी। उनकी टिप्पणियों को उचित रूप से संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित कर लिया गया है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के अनुसार, राजस्व और प्राप्तियों के प्राक्कलन में वर्ष भर के अंदर वसूलनीय राशि को दिखाना चाहिए। आने वाले वर्ष के लिए स्थायी

⁴ बेगुसराय, किशनगंज, कटिहार, गया, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, वैशाली और पश्चिमी चम्पारण।

⁵ दालकोला (पूर्णिया), डोभी (गया) तथा कर्मनाशा (कैमुर)।

राजस्व के प्राक्कलन में, गणना वास्तविक माँग के आधार पर होना चाहिए जिसमें विगत वर्षों का बकाया और वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावनाओं को समाहित किया जाना चाहिए। बकाए और वर्तमान माँग को अलग-अलग दिखाना चाहिए और यदि पूर्ण वसूली की संभावना नहीं हो तो कारण बताना चाहिए। राजस्व के उतार-चढ़ाव के मामले में, प्राक्कलन, विगत तीन वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

पुनः बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 37 यह उपबंधित करता है कि विभागीय पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि वह यह देखें कि सरकार को देय राशि नियमित और शीघ्रता से निर्धारित एवं वसूली कर लिया गया है और लोक लेखा में जमा कर दिया गया है तथा इसकी मिलान महालेखाकार (ले० एवं ह०) के अभिलेखों से यह देखने के लिये कर ली गयी है कि वसूल की गई राशि लोक लेखा में जमा हो गई है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए बजट प्राक्कलन के विस्तृत ब्यौरों और वास्तविक प्राप्तियों (वित्त लेखा के अनुसार) निम्न तालिका-2.2 में प्रदर्शित है:

तालिका-2.2

राजस्व की प्रवृत्ति

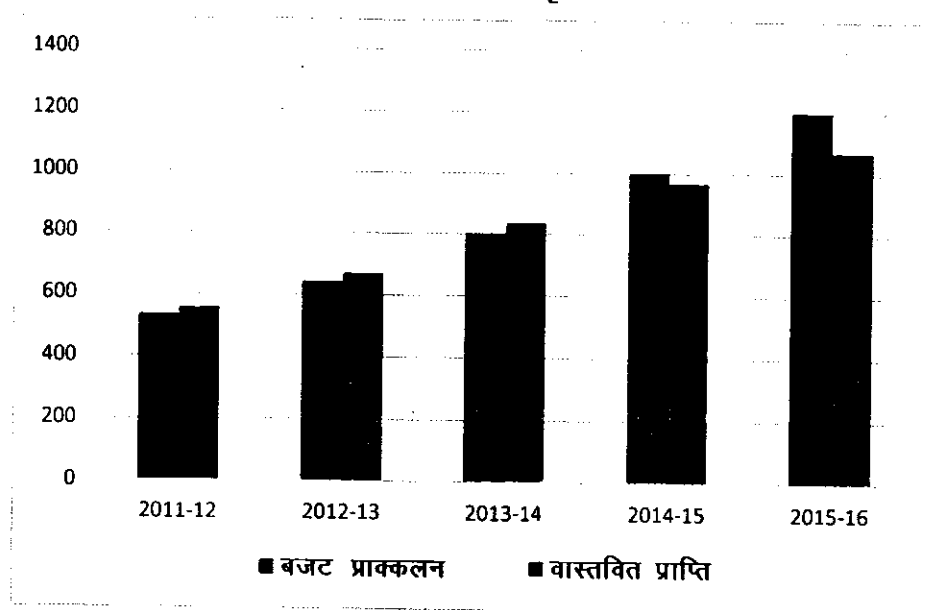
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वित्त लेखा के अनुसार प्राप्तियाँ	वित्त लेखा के अनुसार बकाया	वास्तविक प्राप्तियाँ (ले० एवं ह०)	वित्त लेखा के अनुसार अतिरिक्त	वित्त लेखा के अनुसार अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	537.00	569.13	557.48	32.13	5.98	11.65
2012-13	644.40	673.39	669.30	28.99	4.50	4.09
2013-14	800.00	837.48	835.51	37.48	4.68	1.97
2014-15	1000.00	963.56	966.46	(-)36.44	(-)3.64	(-)2.90
2015-16	1200.00	1081.22	1070.97	(-)118.78	(-)9.90	(-)10.25

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2011-12 से 2015-16 की वास्तविक प्राप्तियों (वित्त लेखा के अनुसार) के साथ-साथ बजट प्राक्कलन को निम्न चार्ट-2.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.3
राजस्व की प्रवृत्ति



उपरोक्त तालिका संसूचित करता है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन से अधिक थी। यद्यपि वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन से 9.90 प्रतिशत तक घट गया था जो चिंता का विषय है और जिसे विभाग द्वारा विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। पुनः वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राप्तियों में भिन्नता ₹ (-) 10.25 करोड़ और ₹ 11.65 करोड़ के बीच थी जो इंगित करता है कि समय पर मिलान नहीं किया गया था। महालेखाकार (ले0 एवं ह0) द्वारा मार्च 2016 में सूचित करने के बावजूद विभाग ने अपने राजस्व संग्रहण आँकड़ों का मिलान नहीं किया। हमने यह भी पाया कि सभी 12 चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में करो के संग्रहण एवं लेखांकन हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। इसके बावजूद अधिकांश लाभार्थी अपने कर/शुल्क का भुगतान पारंपरिक तौर पर जिला परिवहन कार्यालयों के काउन्टर पर ही कर रहे हैं।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वर्ष 2015-16 में प्राप्तियों में कमी, पदाधिकारियों के विधान सभा चुनाव में व्यस्तता के कारण आयी।

अनुशंसा-1: सरकार/विभाग को राजस्व संग्रहण के आँकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के लेखे के साथ आवधिक मिलान यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिये कि वसूल की गई राजस्व का सही लेखांकन तथा कोषागार में जमा की गई है।

जिला परिवहन कार्यालयों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों और राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने कई अनियमितताओं/त्रुटियों को पाया जो अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं :

वैलिडेशन रॉल और रजिस्ट्रार कार्यालयों के अभाव के कारण फर्जी लेन-देन के 35 मामले जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में तथा मनी रसीद का अनियमित रूप से प्रविष्टि करने के 18 मामले पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में दो नई रजिस्ट्रारों के कारण ₹ 20.63 लाख के सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 में प्रावधान है कि सभी लेन-देन बिना किसी विलम्ब से खाते में दर्ज कर दिया जाना है तथा प्राप्त राशि को सरकारी खाते में जमा कर देनी है।

● नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में मैनुअल कैश बुक⁶ के साथ वाहन सॉफ्टवेयर से लेखापरीक्षा द्वारा जनित दैनिक कैश बुक की त्रिचक जाँच से हमने पाया (मई 2016) कि जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में वाहन डाटाबेस के दैनिक कैश रिपोर्ट के जनित प्रति में दर्शायी गई राशि, उसी खास दिन के मैनुअल कैश बुक में प्रविष्टि की गई राशि से अधिक थी। हमने पुनः पाया कि लेखापरीक्षा के दौरान 30 सितम्बर 2014 से 4 मई 2016 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा द्वारा जनित दैनिक कैश रिपोर्ट में लेन-देन की वास्तविक तिथि के बाद 35 लेन-देन किये गये थे। इन लेन-देनों में से दो लेन-देन आगे आने वाले तिथि, अर्थात् 8 दिसम्बर 2016 को प्रविष्टि किये गये थे। इसके फलस्वरूप ₹ 11.41 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट-I में वर्णित है।

● चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि पाँच जिला परिवहन कार्यालयों⁷ में 81 वाहनों से मई 2011 से फरवरी 2016 की अवधि के दौरान ₹ 19.20 लाख के कर का संग्रहण प्रारंभ में किया गया था, परन्तु बाद में उनके रसीद रद्द पाये गये थे। इसके विरुद्ध ₹ 16.47 लाख के 63 रद्द रसीदों के मामले में ₹ 9.98 लाख की कम राशि की नई रसीद निर्गत किये गये थे तथा ₹ 2.73 लाख से सन्निहित शेष 18 रद्द रसीदों के मामलों में कोई नई रसीद जनित नहीं किये गये, लेकिन इन सभी 81 वाहनों के मामलों में वाहन डाटाबेस में कर (त्रैमासिक/एकमुश्त कर) का चुका दिया जाना तथा लेखापित कर दिया जाना/स्मार्ट कार्ड निर्गत प्रदर्शित था। इसके फलस्वरूप ₹ 9.22 लाख (₹ 19.20 लाख-₹ 9.98 लाख) की राशि के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट-II में वर्णित है।

मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन-देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है (मई 2016) एवं पश्चिमी चम्पारण में संबंधित कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विभाग ने पुनः कहा (अगस्त 2016) कि ऐसे कदाचार को रोकने हेतु वाहन एवं सारथी डाटाबेस के अनुश्रवण एवं सुरक्षा के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यापक निर्देश निर्गत कर दिया गया है।

अनुशंसा-2: सरकार/विभाग को डाटा की अखंडता एवं सर्वर की सुरक्षा हेतु वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक पासवर्ड तथा आवश्यक वैलिडेशन जाँच को सुनिश्चित करना चाहिये।

⁶ मैनुअल कैश बुक में लेन-देन की तिथि को जनित कैश रिपोर्ट के अनुसार राशि की प्रविष्टि की जाती है।

⁷ कटिहार, कैमुर, पुर्णिया, सहरसा एवं पश्चिमी चम्पारण।

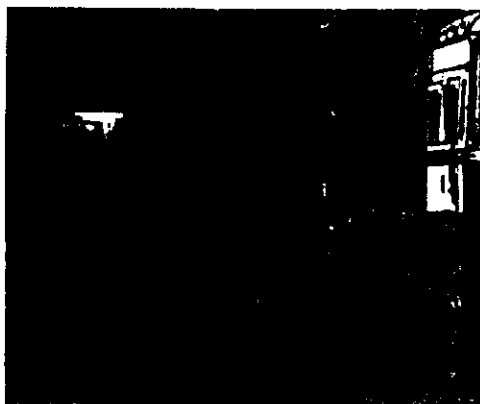
पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रॉन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रॉन के कण का स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरुद्ध 280 के साथ शहर के वायु घातीय को "अत्यधिक अस्वास्थ्यकर" घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पष्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राज्य परिवहन आयुक्त राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों तथा उनके द्वारा निर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र का डाटाबेस संधारित नहीं कर रहे थे।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ों के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानकों का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा सिर्फ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अभिप्रमाणित हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव, पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्धि का कारण हो सकता है।



जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने यह जाँच करने के लिए कि मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन तथा प्रदूषण नियंत्रण मानक को पूरा कर रहे हैं, जाँच संचालित नहीं किया, जबकि उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये थे।

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रदूषण पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2016) कि भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गयी गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर को आठ जिला परिवहन पदाधिकारियों⁸ और 22 मोटर वाहन निरीक्षकों को निर्गत किया गया था (मार्च 2009 तथा जून 2012 के बीच), ताकि वे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा किये जाने की जाँच कर सकें और निर्धारित शुल्क⁹ लेकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करें। हालाँकि हमने पाया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने यह जाँच करने के लिए कि मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन तथा प्रदूषण नियंत्रण मानक को पूरा कर रहे हैं, जाँच संचालित नहीं किया, जबकि उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये थे। इसका कारण प्राशिक्षित कर्मियों की कमी का होना था। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गई गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर का उपयोग नहीं किया गया था एवं वे अक्रियाशील रखे गये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

राज्य परिवहन आयुक्त/प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों का राज्य लाइसेंस संचारित नहीं कर रहे थे। उक्त 106 प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.70 लाख के नवीनीकरण शुल्क की कमी हुई है।

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 163 ई के उपनियम 6(i) के अनुसार प्रदूषण जाँच केन्द्रों को जारी किया गया लाइसेंस दो वर्षों के लिए वैध होगा तथा ₹ 5000 के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान करने पर अगले दो वर्षों के लिए पुनः नवीकृत किया जा सकता है।

⁸ भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा एवं सारण।

⁹ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क दो पहिया/ऑटो रिक्शा के लिए ₹ 30, हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹ 50 तथा अन्य वाहनों के लिए ₹ 75 है।

राज्य परिवहन आयुक्त, राज्य में प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित करने में विफल रहे, अतः हमने पाया कि प्रदूषण पंजी में दर्ज 256 प्रदूषण जाँच केन्द्रों में से 106 जाँच केन्द्रों के लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित प्रविष्टि जुलाई 2007 और जनवरी 2016 के बीच नहीं पाई गयी। इसके फलस्वरूप ₹ 11.30 लाख के नवीनीकरण शुल्क की हानि हुई।

प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या तथा संग्रहित राजस्व का संबंधित रिटर्न जमा नहीं किया गया था।

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 163 ई के उपनियम 8 (बी) के अनुसार प्रदूषण जाँच केन्द्रों को मासिक रिटर्न अनुवर्ती माह के 5 वीं तिथि तक लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को जमा करना होगा, जिसमें जाँचे गए वाहनों की संख्या, जाँच का परिणाम तथा निर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की संख्या का ब्योरा देना होगा।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार पटना के प्रदूषण पंजी की संवीक्षा से हमने पाया कि प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। रिटर्न के अभाव में इन केन्द्रों द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या, संग्रहित राजस्व तथा सरकारी खाते में जमा किये गये राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अनुशंसा-3: सरकार/विभाग को प्रदूषण जाँच केन्द्रों का एक राज्य डाटाबेस संधारित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा प्रमाणपत्र निर्गत करने के समय विहित प्रक्रिया अपनायी गयी है। यह विभाग को पटना एवं राज्य में वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।

वाहन साफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः-सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

घटे हुए विक्री मूल्य पर 132 निजी वाहनों का निबंधन किये जाने से राजस्व के राजस्व की हानि हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (1) के प्रावधान, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित है (1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी), के अंतर्गत निजी वाहनों के निबंधन के समय बिक्री कर को छोड़ वाहनों के मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर पर एकमुश्त कर वाहन के पुरे जीवन काल के लिए आरोपित किया जाना है। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2012 (वर्ष 2012 का बिहार अधिनियम 6) के द्वारा एकमुश्त कर के दर को चार लाख रुपये मूल्य तक के वाहनों के लिए छः प्रतिशत तथा चार लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाहनों के लिए सात प्रतिशत, जिसमें बिक्री कर शामिल नहीं है, संशोधित किया गया। 1 अप्रैल 2013 से पुनः संशोधित कर सभी निजी वाहनों हेतु कर के दर को सात प्रतिशत किया गया। पुनः परिवहन विभाग ने जुलाई 2013 में यह

निर्देश निर्गत किया कि जिला परिवहन पदाधिकारी कर का संग्रहण, व्यवसायियों द्वारा दिये गये वाहन के मूल्य के साथ बिक्री प्रमाण पत्र (प्रपत्र-21) की सत्यापन के बाद ही करें।

नमूना-जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस में प्रविष्ट बिक्री राशि का वाहनों के वास्तविक बिक्री राशि के साथ तिर्यक जाँच से हमने पाया कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों¹⁰ में 132 निजी वाहनों के वाहन डाटाबेस में दर्शायी गयी बिक्री राशि वाहनों की वास्तविक बिक्री राशि¹¹ से कम थी। चूँकि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के साथ उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले वाहनों के व्यवसायियों के बिक्री/विक्रय मूल्य के डाटाबेस के साथ अन्तः-सम्बद्धता नहीं थी, अतः लागत मूल्य के इस अंतर का पता नहीं चल सका। तदनुसार घटे हुए बिक्री राशि पर कर की गणना की गयी थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 13.75 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट-III में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस में प्रविष्ट बिक्री राशि का वाहनों के वास्तविक बिक्री राशि के साथ तिर्यक जाँच से हमने पाया कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों में 132 निजी वाहनों के वाहन डाटाबेस में दर्शायी गयी बिक्री राशि वाहनों की वास्तविक बिक्री राशि से कम थी। चूँकि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के साथ उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले वाहनों के व्यवसायियों के बिक्री/विक्रय मूल्य के डाटाबेस के साथ अन्तः-सम्बद्धता नहीं थी, अतः लागत मूल्य के इस अंतर का पता नहीं चल सका। तदनुसार घटे हुए बिक्री राशि पर कर की गणना की गयी थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 13.75 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट-III में वर्णित है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 47 प्रावधित करता है कि नए वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन उस निबंधन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है जिनके क्षेत्र में आवेदक का निवास हो अथवा जहाँ उसका व्यवसाय हो एवं वाहन साधारणतया रखा जाता हो। यात्रा की अवधि को छोड़ सुपर्दगी की तिथि के सात दिनों के अंदर निबंधन के लिए प्रपत्र 20 में आवेदन देना है। इसे नियमानुसार आवश्यक कागजातों के साथ समर्पित किया जाना है।

जिला परिवहन कार्यालयों, सारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास के निबंधन अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि 52 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने नवम्बर 2011 से जून 2014 के बीच निबंधन हेतु आवेदन दिया था लेकिन इन वाहनों का निबंधन अबतक लंबित था। जिला परिवहन कार्यालयों, वैशाली, पूर्वी चम्पारण और कैमूर के वाहन डाटाबेस के आँकड़ों के विश्लेषण से हमने पाया कि वही 52 वाहन (इनके चेसिस नंबर समान थे) इन जिला कार्यालयों में निबंधित थे। यद्यपि इनकी खरीद की तिथि वास्तविक खरीद की तिथि से बाद की थी और घटे हुए बिक्री मूल्य पर थी, जैसा कि पूर्व के जिला परिवहन कार्यालयों में दर्ज था। इस प्रकार, जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अंतः-सम्बद्धता के अभाव के कारण इन 52 वाहनों का निबंधन अन्य जिला परिवहन कार्यालयों में घटे हुए बिक्री मूल्य पर तथा खरीद की वास्तविक तिथि के बाद

¹⁰ कटिहार, पूर्णिया एवं सहरसा।

¹¹ डाटाबेस में मोटर साइकिल का बिक्री मूल्य केवल ₹ 125 दर्ज था और कर मात्र ₹ 9 आरोपित किया गया था, लेकिन मोटर साइकिल का वास्तविक मूल्य ₹ 46,839 था और कर ₹ 3,279 आरोपित किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार मारुति स्विफ्ट (चार पाहिया) का मूल्य डाटाबेस में मात्र ₹ 38,965 दर्ज था और कर मात्र ₹ 2,728 आरोपित किया गया था, लेकिन कार का वास्तविक मूल्य ₹ 3,93,984 था एवं ₹ 27,579 का कर आरोप्य था। वाहनों की वास्तविक बिक्री राशि समान निर्माता कंपनी के उक्त अवधि में डाटाबेस में इसी मॉडल की कारों के मूल्य पर आधारित था, जिसे कुछ एजेन्सियों से सत्यापित भी कर लिया गया था।

हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.11 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि तालिका-2.3 में नीचे वर्णित है।

तालिका-2.3

वाहनों का अनियमित निबंधन

जिला	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
पश्चिमी चंपारण	अक्टूबर 2011 और मई 2013 के बीच	पश्चिमी चंपारण	1.41		
सारण	मई 2013 और जून 2014 के बीच	सारण	6.33		
रोहतास	मई 2012 और मई 2013 के बीच	रोहतास	0.37		

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले की जाँच की जाएगी और आगे कहा कि वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर डाटाबेस में छेड़छाड़ को रोकने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत (अगस्त 2016) कर दिए गए हैं।

विभिन्न जगहों पर समान निबंधन वाली वाहनों का परिचालन हो रहा था। वाहन व्यवस्था के लिए एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 46 के अनुसार किसी भी राज्य में निबंधित मोटर वाहन को भारत में किसी दूसरे जगह निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे वाहनों से संबंधित निर्गत निबंधन प्रमाणपत्र संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा।

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चंपारण के साथ जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण के वाहन डाटाबेस के 'ऑनर टेबुल' के तिर्यक जाँच से हमने पाया (मई 2016) कि निबंधन प्राधिकारी, पूर्वी चंपारण ने तीन मामलों में दो वाहनों को समान निबंधन संख्या आवंटित किया था। इनमें से तीन वाहन पथ कर का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चंपारण में कर रहा था, जबकि शेष तीन वाहन, जो समान निबंधन संख्या के थे, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण के कर तालिका में दर्ज पाए गए। हालाँकि, इन मामलों में चैसिस/इंजन संख्या भिन्न था, जैसा कि परिशिष्ट-IV में वर्णित है।

चूँकि कम्प्यूटर प्रणाली में स्वचालित वैलिडेशन जाँच नहीं था, अतः समान निबंधन वाले वाहनों का परिचालन विभिन्न जगहों पर हो रहा था। यह न केवल कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

बिना अस्थायी निबंधन के वाहनों की सुपुर्दगी के परिणामस्वरूप शुल्क के रूप में ₹ 17.66 लाख की हानि हुई तथा साथ ही दंड के रूप में ₹ 3.89 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ था।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 42 के अनुसार वाहन का कोई भी व्यवसायी खरीददार को अनिवारित मोटर वाहन नहीं सौंपेंगे। वे सिर्फ उन्हीं वाहनों को सौंपेंगे जिनका निबंधन जिला परिवहन कार्यालयों में अस्थायी/स्थायी रूप से हो गया है। पुनः मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 प्रावधित करता है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक अनिवारित वाहन का उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं देंगे तथा कोई भी व्यक्ति उस मोटर वाहन को नहीं चला सकता है, जिसका निबंधन नहीं हुआ है। बिना अस्थायी या स्थायी निबंधन के मोटर वाहन को खरीददार को सुपुर्द करना उपरोक्त अधिनियम की धारा 39 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 44 के तहत अपेक्षित परिणाम अपरिहार्य है। परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने पहले ही इस संदर्भ में निर्देश जारी (28 जुलाई 2009) कर दिया है। पुनः इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के तहत ₹ 2000 का न्यूनतम दंड आरोपित किया जाना है।

चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (मई एवं जून 2016 के बीच) कि चार जिला परिवहन कार्यालयों¹² में दोपहिया/चार पहिया वाहनों के 16 वैध व्यवसायियों ने अगस्त 2005 और मार्च 2016 के बीच 19,447 वाहन बिना निबंधन के खरीददारों को सौंप दिया। उपरोक्त नियमावली के उल्लंघन में संबंधित निबंधन प्राधिकारियों ने इन मोटर वाहनों को निबंधन चिह्न जारी कर दिया, जिन्हें बिना स्थायी अथवा अस्थायी निबंधन के खरीददारों को सौंप दिया गया था। अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु उन व्यवसायियों के विरुद्ध संबंधित निबंधन प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। पुनः इन वाहनों के मालिक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत दंड का भुगतान हेतु दायी थे। इस प्रकार अस्थायी निबंधन फीस के रूप में ₹ 17.66 लाख के राजस्व की हानि हुई तथा साथ ही ₹ 3.89 करोड़ का दंड भी आरोपित नहीं किया गया, जैसा कि निम्न तालिका-2.4 में वर्णित है:

तालिका 2.4
बिना अस्थायी निबंधन के वाहनों की सुपुर्दगी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	व्यवसायी	वाहन	सुपुर्दगी	दंड	कुल
1	पश्चिमी चम्पारण	4	प्रावधानों के तहत	138	0.12	2.76
2	कैमूर	2	प्रावधानों के तहत	7,028	6.34	140.96
3	रोहतास	6	प्रावधानों के तहत	4,801	4.49	96.02

¹² कैमूर, किशनगंज, रोहतास एवं पश्चिमी चम्पारण।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यवसायियों से अस्थायी निबंधन फीस वसूलने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। पुनः जिला परिवहन पदाधिकारियों को अनिबंधित वाहनों का परिचालन रोकने के लिए भविष्य में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यवसायी वाहनों के बिना निबंधन, चाहे स्थायी या अस्थायी, सुपुर्दगी ना करें।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 यह प्रावधित करता है कि ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन ही परिवहन वाहन होगा। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 66 प्रावधित करता है कि कोई भी मोटर वाहन का मालिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से प्राप्त परमिट के बगैर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है अथवा इसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता है।

बारह जिला परिवहन कार्यालयों¹³ के वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेखों की संवीक्षा से हमने पाया (अप्रैल और जुलाई 2016 के बीच) कि अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के बीच 46,806 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन किया गया था। जिसमे से 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के रूप में किया गया था। इस प्रकार 32,797 ट्रेलर का निबंधन किये बगैर तथा उन ट्रैक्टर को मालवाहक के रूप में अनुमति दिये जाने के कारण ₹ 19.89 करोड़ का कर तथा ₹ 6.72 करोड़ के परमिट शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निबंधित ट्रैक्टर की तुलना में ट्रेलर का निबंधन कम होने के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई थी। हालाँकि, एकमुश्त कर की दर को संशोधित (19 सितम्बर 2014) करके ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन के लिए ट्रैक्टर के मूल्य का 4.5 प्रतिशत किया गया है।

परन्तु तथ्य यह है कि बगैर ट्रेलर के ट्रैक्टर को मालवाहक के रूप में अनुमति दिये जाने से कर एवं परमिट शुल्क के रूप में राजस्व से सरकार वंचित रह गया।

राजस्व विभाग द्वारा किए गए निबंधन विज्ञापन के माध्यम से निबंधित शुल्क का भुगतान करने वाले वाहनों के निबंधन के कारण से राजस्व का हानि का अनुमान लगाया गया है। निबंधन शुल्क का भुगतान करने वाले वाहनों के निबंधन के कारण से राजस्व का हानि का अनुमान लगाया गया है। निबंधन शुल्क का भुगतान करने वाले वाहनों के निबंधन के कारण से राजस्व का हानि का अनुमान लगाया गया है।

विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश (28 जुलाई 2009) के अनुसार वाहनों का निबंधन संख्या उनके विक्रय बीजक के क्रमानुसार ही निर्गत किया जाना है। उपलब्ध संख्या के अतिरिक्त व्यवसायी ₹ 5000 के अतिरिक्त शुल्क की वसूली कर इच्छानुसार कोई अन्य संख्या आवंटित कर सकता है। पुनः व्यवसायियों द्वारा डीलर प्वाइन्ट निबंधन के तहत संग्रहित शुल्क/कर/दस्तावेज को संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में अगले कार्य दिवस में जमा कर दिया जाना है।

- नमूना-जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस में डीलर प्वाइन्ट निबंधन की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (मई और जुलाई 2016 के बीच) कि सात जिला परिवहन कार्यालयों¹⁴ में नवम्बर 2012 और मार्च 2016 के बीच 93 व्यवसायियों ने 1,062 निबंधन संख्या (कुल 1,17,416 निबंधन संख्या में से) खरीददारों को बगैर विहित शुल्क प्रभारित किये ही अनुक्रम¹⁵ से बाहर की संख्या आवंटित किया। इसके फलस्वरूप कुल ₹ 53.10 लाख की राशि की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को क्रम से बाहर के निबंधन संख्या केवल निर्धारित शुल्क की वसूली करने के बाद ही जारी किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है (सितम्बर 2016)। विभाग ने पुनः कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है तथा ₹ 1.20 लाख की राशि की वसूली कर ली गयी है।

- नमूना-जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस में डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (जून और जुलाई 2016 के बीच) कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों¹⁶ में 21 व्यवसायियों ने 891 निबंधन संख्या नए वाहनों के खरीददारों को आवंटित किया था। व्यवसायियों ने 891 वाहनों के मालिकों से ₹ 38.67 लाख के निबंधन शुल्क एवं कर का संग्रहण किया था लेकिन संग्रहित राशि को लगभग दो माह से चार वर्षों के विलंब से जमा किया। इस प्रकार व्यवसायियों ने सरकारी राशि का अस्थायी तौर पर दुरुपयोग किया। सरकार उस ब्याज से भी वंचित रह गया जिसे प्राप्त किया जा सकता था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला परिवहन पदाधिकारियों को संग्रहित राजस्व की राशि को 15 दिनों के भीतर जमा कराने हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय आदेश (जुलाई 2009) के अनुसार शुल्क/कर सहित दस्तावेजों को संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में अगले कार्य दिवस में जमा करना था, ताकि वाहनों के मालिक अपने निबंधन प्रमाणपत्र क्रय की तिथि के एक सप्ताह के अंदर पा सकें।

अनुशंसा-4: सरकार/विभाग को सभी जिला परिवहन कार्यालयों तथा वाहनों के व्यवसायियों के बीच अन्तः-सम्बद्धता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वाहनों का निबंधन वास्तविक मूल्य पर तथा वाहनों की बिक्री की तिथि के आधार पर हो सके। पुनः सरकार/विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वाहन निबंधन के बगैर परिचालित न हो तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध

¹⁴ बेगुसराय, गया, कैमूर, नालन्दा, पूर्णिया, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

¹⁵ जिला परिवहन कार्यालय, नालन्दा में 30 मार्च 2015 को संख्या बी.आर. 21 एल. 0989 आवंटित किया गया था जबकि उसके बाद का संख्या बी.आर. 21 एल. 0990 पूर्व तिथि 24 मार्च 2015 को ही आवंटित कर दिया गया था।

¹⁶ बेगुसराय, कटिहार एवं पूर्णिया।

कार्यवाई प्रारंभ की जाए, जो बिना निबंधन के वाहनो के परिचालन की अनुमति दिये थे।

मोटर वाहन चलाने हेतु योग्यता जाँच के बगैर ही 3,188 अम्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिये गये थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस इंगित किया कि लाइसेंस, जाँच उत्तीर्ण होने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इससे दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक ड्राइविंग के सक्षम जाँच हेतु उपस्थित नहीं हो सकता है जब तक उसके पास कम से कम 30 दिनों की अवधि हेतु लर्नर लाइसेंस न हो। किसी भी व्यक्ति को सक्षमता जाँच में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा सकता है।

पाँच जिला परिवहन कार्यालयों¹⁷ द्वारा उपलब्ध सूचनाओं तथा ड्राइविंग जाँच पंजी के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (मई 2016) कि जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में 2,428 आवेदक समान श्रेणी के वाहन चलाने हेतु जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच सफल घोषित किए गए लेकिन उसी अवधि में 5,616 लाइसेंस निर्गत किए गए थे। इस प्रकार, यह प्रमाणित करता है कि मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच किए बिना ही 3,188 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस ने इंगित किया कि लाइसेंस जाँच उत्तीर्ण होने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लाइसेंस का इस तरह निर्गत किये जाने से दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण से सूचना मँगायी जा रही है।

अनुशंसा-5: सरकार/विभाग को मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच तथा उसके परिणाम से संबंधित सही आँकड़े दर्ज किये जाने एवं बगैर ड्राइविंग जाँच के वाहन चालकों को लाइसेंस निर्गत नहीं किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस ₹ 40 की अतिरिक्त राशि की वसूली कर निर्गत किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के शुल्क की अधिक वसूली हुई।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 14 के साथ पठित नियम 32 के अनुसार प्रपत्र-7 में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने हेतु ₹ 200 का शुल्क प्रभारित किया जाना है, जिसमें कंप्यूटराइज्ड चिप की लागत भी शामिल है। पुनः यह प्रावधित करता है कि वाहन चलाने हेतु सक्षमता की जाँच के लिए ₹ 50 प्रभारित होगा। बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना (अक्टूबर 1996) के अनुसार ₹ 50 का अधिभार भी ऐसे जाँच के लिए आरोपित किया जाएगा।

¹⁷ बेगुसराय, नालन्दा, पटना, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

आठ जिला परिवहन कार्यालयों¹⁸ में सारथी सॉफ्टवेयर के आँकड़ों के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2015 के बीच लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रपत्र-7 में सभी ड्राइविंग लाइसेंस (गैर-परिवहन) ₹ 40 की अतिरिक्त राशि की वसूली कर आवेदकों को निर्गत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के शुल्क की अधिक वसूली की गयी, जैसा कि निम्न तालिका-2.5 में नीचे वर्णित है:

तालिका 2.5

ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क की अधिक वसूली

(राशि ₹ में)

प्रपत्र-7 में निर्गत ड्राइविंग लाइसेंस	200	200	4,11,275
प्रत्येक श्रेणी के लिए वाहन चलाने के लिए सक्षमता जाँच हेतु	100	50+50 (आधिभार)	
अधिक प्रसारित	एकल/द्वितीय श्रेणी के लिए	फीस विहित नहीं	

31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था तथा विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया था। इसके बावजूद, आवेदकों से ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क की अधिक वसूली जारी थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले की जाँच की जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा था (नवम्बर 2011) कि इस संदर्भ में गजट अधिसूचना निर्गत की जाएगी।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा सात मोटर ड्राइविंग स्कूलों को अनियमित रूप से लाइसेंस निर्गत किए गये थे।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली का नियम 24 प्रावधित करता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने उपनियम (3) की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है, ड्राइविंग स्कूलों का लाइसेंस निर्गत अथवा नवीकृत कर सकते हैं। इस नियम के उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 213 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जिला दंडाधिकारी को लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी घोषित (दिसम्बर 1992) किया।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के मोटर ड्राइविंग स्कूलों से संबंधित पंजी तथा प्रासंगिक संचिकाओं की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी

¹⁸

गया, कैमूर, किशनगंज, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

द्वारा वर्ष 2013 से 2015 (अक्टूबर 2015 तक) की अवधि के दौरान सात मोटर ड्राइविंग स्कूलों¹⁹ हेतु लाइसेंस निर्गत किया गया था, जबकि ऐसे लाइसेंस की अनुमति हेतु शक्ति संबंधित जिला दंडाधिकारियों में समाहित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से पूर्व प्रभाव से अनुमोदन लेने हेतु निर्देशित (सितम्बर 2016) किया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 प्रावधित करता है कि वाहनों के मालिक किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में किसी वाहन का उपयोग अथवा उसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता है, चाहे ऐसा वाहन वास्तव में निर्गत परमिट की शर्तों के अनुसार यात्री अथवा मालों की दुलाई कर रहा हो अथवा नहीं। उपरोक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (8) के तहत निर्गत अस्थायी परमिट के अलावे एक परमिट पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 (3) (बी) (i) के अनुसार कोई भी वाहन जो सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस उद्देश्यों तथा माल वाहक, जिसका कुल वजन 3,000 किलो ग्राम से ज्यादा नहीं हो, के लिए उपयोग किया जाता है, तब वह परमिट की आवश्यकता से मुक्त होगा।

चयनित दो जिला परिवहन प्राधिकारियों (मुजफ्फरपुर और पूर्णिया) के स्थायी परमिट पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये 744 हल्के माल वाहकों, जिसका कुल वजन 3,000 किलो ग्राम से ज्यादा नहीं था, के लिए प्रति ₹ 2,050 की परमिट शुल्क की वसूली कर परमिट निर्गत किया गया था। इस तरह के परमिट की वैधता पाँच वर्षों के लिए थी। इससे ₹ 15.25 लाख के परमिट शुल्क की अनियमित वसूली हुई, जैसा कि निम्न तालिका-2.6 में प्रदर्शित है:

तालिका-2.6

हल्के मालवाहकों को परमिट की अनियमित अनुमति

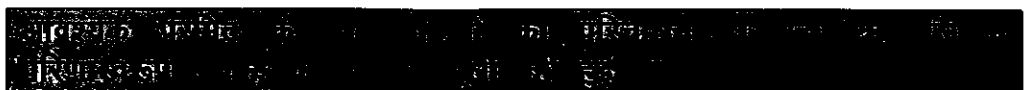
वर्ष	हल्के मालवाहकों की संख्या	परमिट शुल्क (₹)
2015	744	15,25,000

¹⁹

आनंद मोटर ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, मुजफ्फरपुर; जय जगदीश मोटर ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, हाजीपुर; कृष्णा मोटर ड्राइविंग स्कूल, रक्सौल; ओम मोटर ड्राइविंग स्कूल, मुजफ्फरपुर; रिषभ मोटर ट्रेनिंग स्कूल हाजीपुर; एस.सी. मोटर वेहिकल ट्रेनिंग स्कूल, हाजीपुर एवं श्री राम वेहिकल ट्रेनिंग बेतिया।



इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा, हालाँकि इससे राजस्व की हानि नहीं हुई थी। तथ्य यह है कि विभाग ने संबंधित अधिनियमों/नियमावली में किसी प्रावधान के बगैर ही परमिट शुल्क का संग्रहण किया था।



चार जिला परिवहन कार्यालयों²⁰ के वाहन डाटाबेस में तिपहिया वाहनों के निबंधन अभिलेखों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (पटना और पूर्णिया) के परमिट पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि सितंबर 2014 और मार्च 2016 के बीच 5,453 तिपहिया वाहनों का निबंधन हुआ था। इनमें से केवल 595 वाहनों का स्थायी परमिट सितंबर 2014 और मार्च 2016 के बीच निर्गत किया गया था। इस प्रकार 4,858 तिपहिया वाहनों के लिए स्थायी परमिट नहीं लिया गया था। अतः परमिट शुल्क के रूप में ₹ 77.73 लाख की वसूली नहीं हुई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि बिना वैध परमिट के वाहनों के परिचालन के मामले में विभाग का प्रवर्तन शाखा, चूककर्ता वाहन मालिकों पर दंड का आरोपण किया है।

हालाँकि तथ्य यह है कि प्रवर्तन शाखा पर्याप्त निरीक्षण नहीं कर सका एवं उन वाहनों का पहचान नहीं कर सका जिनके परमिट कालातीत हो चुके थे एवं उन पर आवश्यक जुर्माना आरोपित नहीं कर पाये।



चार जिला परिवहन कार्यालयों²¹ के वाहन डाटाबेस तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (पटना और पूर्णिया) के परमिट पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (जून 2016) कि जनवरी 2013 और मार्च 2016 के बीच 3,860 ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन का निबंधन किया गया था एवं मालवाहकों के रूप में कर का भुगतान किया गया था। इनमें से केवल 92 ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन के मालिकों ने संबंधित प्राधिकारियों से परमिट प्राप्त किया था। इस प्रकार 3,768 ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन बिना किसी स्थायी परमिट के परिचालित थे, जिसके फलस्वरूप परमिट शुल्क के रूप में ₹ 77.24 लाख की वसूली नहीं हुयी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि बिना वैध परमिट के वाहनों के परिचालन के मामलों में विभाग का प्रवर्तन शाखा, चूककर्ता वाहन मालिकों पर दंड का आरोपण किया है।

²⁰ कैमूर, नालन्दा, पूर्णिया एवं रोहतास।

²¹ कैमूर, कटिहार, पूर्णिया एवं रोहतास।

हालाँकि तथ्य यह है कि प्रवर्तन शाखा पर्याप्त निरीक्षण नहीं कर सका एवं उन वाहनों का पहचान नहीं कर सका जिनके परमिट कालातीत हो चुके थे एवं उन पर आवश्यक जुर्माना आरोपित नहीं कर पाये।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु परमिट पंजी के साथ जिला परिवहन कार्यालय, पटना के वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेखों की तिर्यक जाँच के दौरान हमने पाया कि जुलाई 2014 से अक्टूबर 2015 के दौरान 186 बसें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर पटना में निबंधित हुये थे। इनमें से केवल 149 बसों के लिये ही परमिट लिया गया था। पुनः, शेष 37 में से 15 बसों के मालिकों ने अगस्त 2015 और अक्टूबर 2016 के बीच कर का भुगतान करना बंद कर दिया था। इस प्रकार कुल ₹ 2.48 लाख (कर: ₹ 1.71 लाख तथा परमिट शुल्क: ₹ 0.78 लाख) की वसूली नहीं हुयी।

इसे इंगित किये जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, पटना ने कहा (अगस्त 2016) कि मामले की जाँच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

चूँकि विभाग जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अन्तः-सम्बद्धता में विफल रहा, अतः बगैर वैध परमिट के 4,858 तिपहिया वाहनों, 3,768 ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन तथा 37 शैक्षणिक संस्थाओं के बसों के परिचालन का पता नहीं चला।

अनुशंसा-6: सरकार/विभाग को जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अन्तः-सम्बद्धता के द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित परमिट निर्गत किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिए।

10 जिला परिवहन कार्यालयों में 2,829 वाहनों के मालिकों ने या तो 'एकमुश्त कर/अर्धदण्ड' का भुगतान नहीं किया अथवा कम किया। करारोपण पदाधिकारी ने ₹ 3.77 लाख के आरोप्य 'एकमुश्त कर/अर्धदण्ड' का आरोपण नहीं किया था।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7, जो बिहार वित्त अधिनियमों द्वारा समय-समय पर संशोधित है, विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए एकमुश्त कर का दर प्रावधित करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के अनुसार कर के भुगतान में 15 दिनों से अधिक विलंब के लिए देय कर का 25 प्रतिशत से लेकर उसके दुगुना तक अर्धदण्ड लिया जाना है।

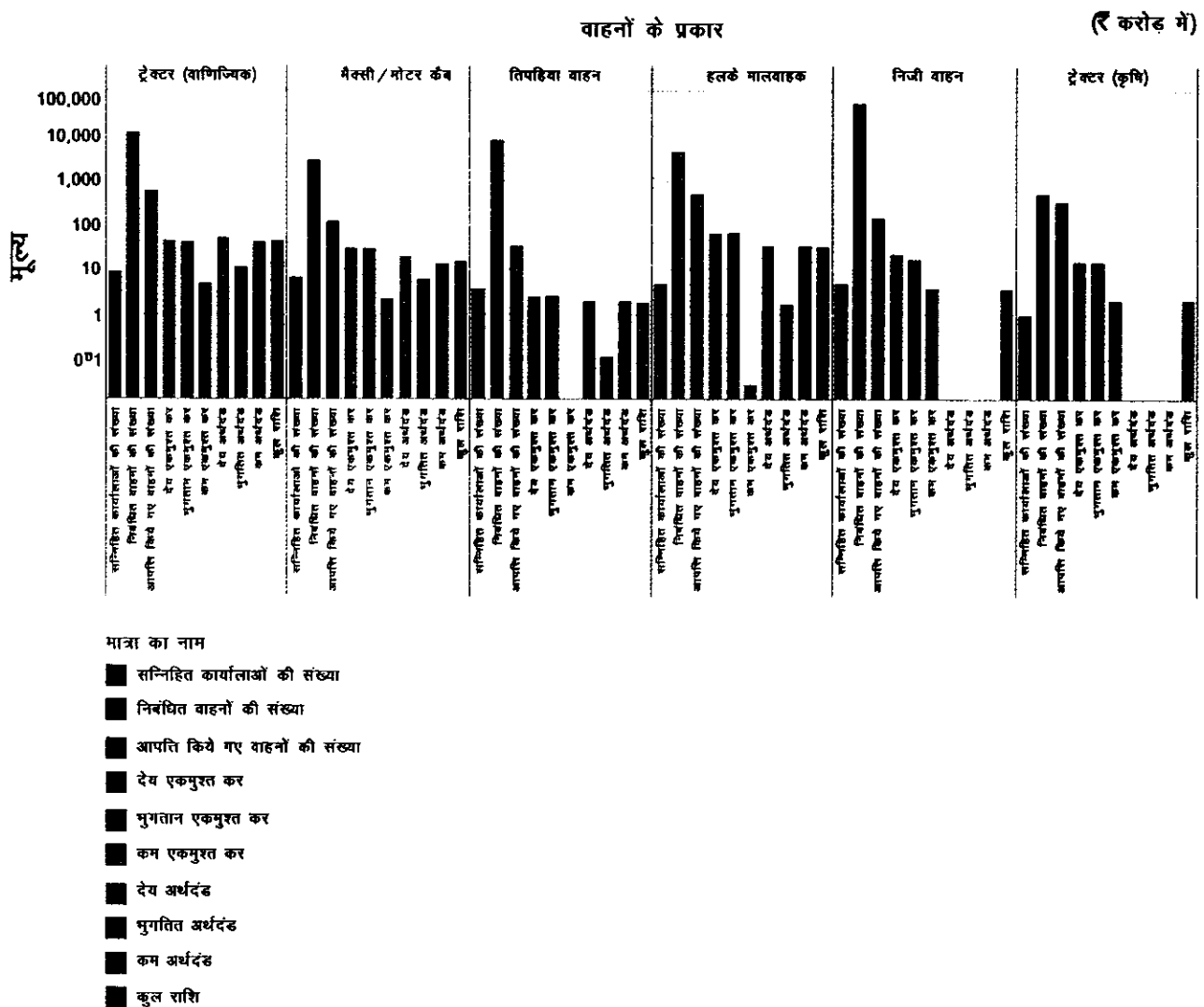
पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 8 प्रावधित करता है कि जब मोटर वाहन के कर को संशोधित किया जाता है, तब उस अवधि के लिए जिसमें उच्च दर पर कर भुगतेय है, वाहन के मालिक करारोपण पदाधिकारी को अन्तर राशि का भुगतान करेंगे।

नमूना-जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबुल की डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि 10 जिला परिवहन कार्यालयों²² में 2,329 वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त कर/अर्धदण्ड का भुगतान या तो नहीं किया था अथवा कम किया। करारोपण पदाधिकारी ने आरोप्य एकमुश्त कर/अर्धदण्ड का आरोपण नहीं किया था तथा बकाये की वसूली हेतु माँग पत्र भी निर्गत नहीं किया था। इस प्रकार ₹ 2.63 करोड़ के अर्धदण्ड सहित ₹ 3.77 करोड़ के एकमुश्त कर की राशि अवसूलित रह गयी, जैसा कि परिशिष्ट-V में वर्णित है।

निम्न चार्ट वाहनों से एकमुश्त कर तथा अर्धदण्ड की कम वसूली, एकमुश्त कर एवं अर्धदण्ड की वसूली नहीं किया जाना तथा अन्तर कर की राशि की वसूली नहीं किया जाना प्रदर्शित करता है:

चार्ट-2.4

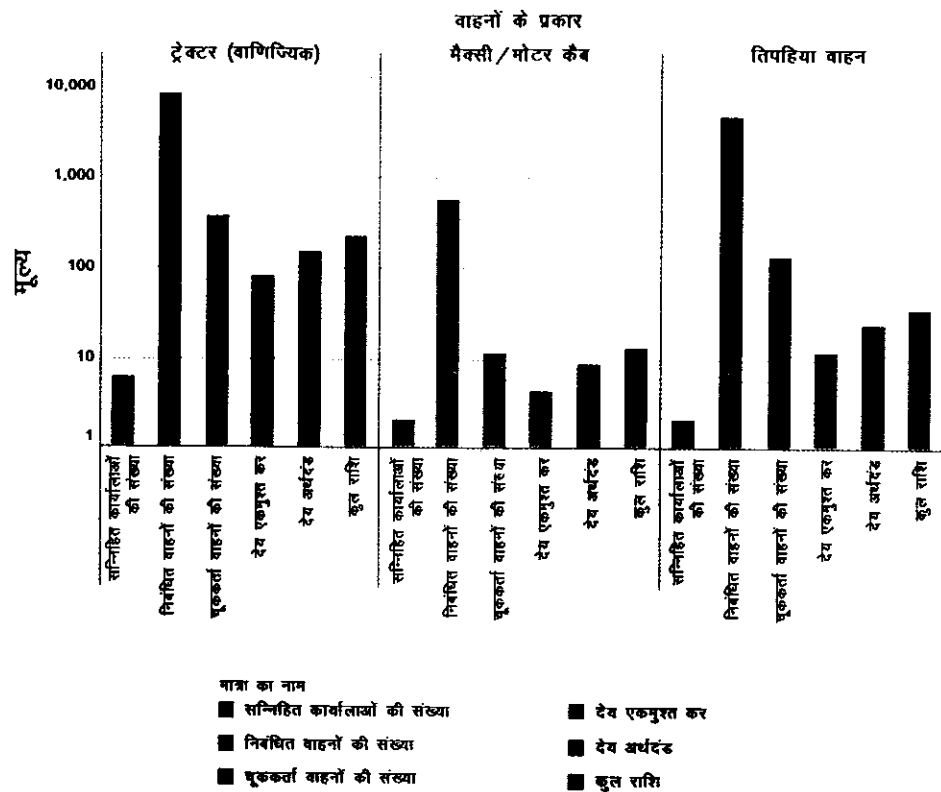
एकमुश्त कर एवं अर्धदण्ड की कम वसूली



चार्ट-2.5

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

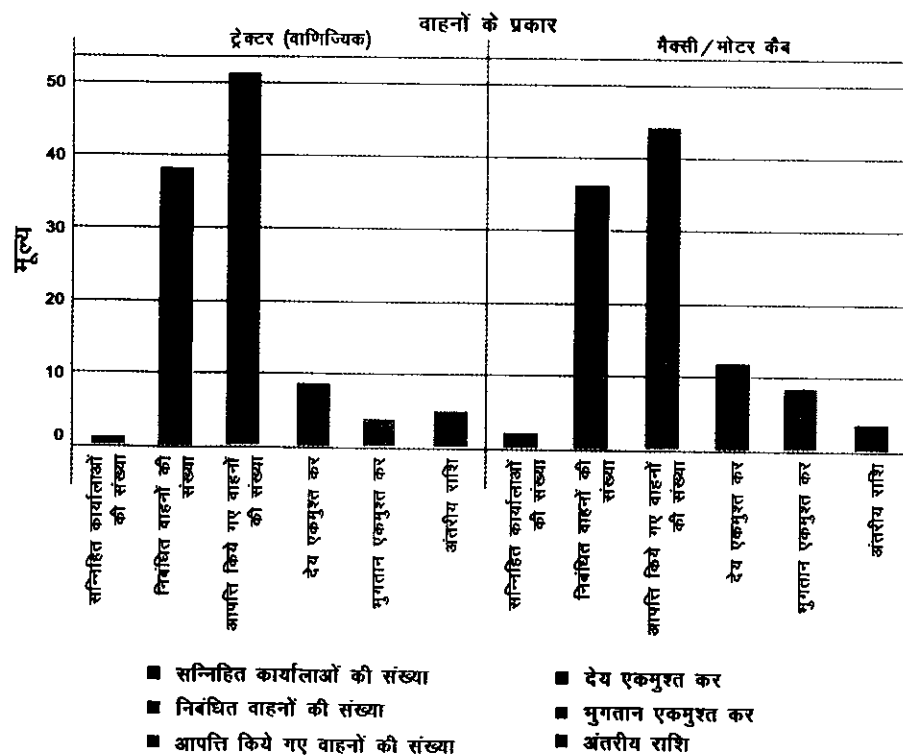
(₹ करोड़ में)



चार्ट-2.6

कर की अंतर राशि की वसूली नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)



इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मंगायी जा रही है।

191 निर्माण उपकरणों/आपातकालीन वाहनों पर कर का अनियमित आरोपण किये जाने के कारण ₹ 6.24 लाख की राशि अधिक संग्रहित की गई।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, "एम्बुलेंस" का अर्थ वह वाहन है जिसे विशेष रूप से अभिकल्पित, निर्मित अथवा परिवर्तित एवं सुसज्जित किया गया है तथा वैसे व्यक्तियों का आपातकालीन परिवहन करने हेतु उपयोग में लाया जाता है, जो बीमार, घायल, अथवा अन्य प्रकार से असहाय हैं। एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहनों के श्रेणी में आते हैं। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 2 (सी.ए.) के अनुसार एक्सकैवैटर (जे.सी.बी.) एवं लोडर "निर्माण उपकरण वाहन" है तथा ऐसे वाहन गैर परिवहन वाहन होंगे। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित अनुसूची-I के भाग 'ग' का क्रम संख्या 7 इन वाहनों पर विहित दर से कर आरोपित किया जाना प्रावधित करता है।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (पटना एवं वैशाली) के वाहन सॉफ्टवेयर में एम्बुलेंस तथा निर्माण उपकरण वाहनों के निबंधन अभिलेखों तथा कर संग्रहण की संवीक्षा के दौरान हमने फरवरी एवं अगस्त 2016 के बीच पाया कि टैक्सी हेतु विहित कर एम्बुलेंस पर आरोपित किया जा रहा था तथा माल वाहकों हेतु विहित कर निर्माण उपकरण वाहनों पर आरोपित किया जा रहा था। इस प्रकार, कर के दर का गलत आरोपण किये जाने के कारण 191 वाहनों (एम्बुलेंस, क्रेन, जे.सी.बी. तथा लोडर) से ₹ 6.24 लाख की राशि अधिक संग्रहित की गई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कर आरोपित किये जाने हेतु निदेश निर्गत (सितम्बर 2016) कर दिये गये हैं।

बैठने की क्षमता के अनुरूप बसों पर कर का अनियमित आरोपण किये जाने के कारण ₹ 4.20 लाख की राशि का कम संग्रहण किया गया था।

बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (14 सितम्बर, 2014 से प्रभावी) के प्रावधानों के अनुसार स्टेज कैरेज पर कर की गणना इसके श्रेणी (साधारण, सेमी डिलक्स तथा डिलक्स) एवं यात्रियों हेतु सीट की संख्या के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त अधिनियम का प्रावधान पुनः विहित करता है कि स्टेज कैरेज में यात्रियों की संख्या इसके व्हील बेस तथा स्टेज कैरेज की श्रेणी पर आधारित है।

चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के ऑनर टेबुल की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों²³ में 54 स्टेज कैरेज पर इसे साधारण श्रेणी के तहत मानते हुए सीट की संख्या के आधार पर कर आरोपित किया गया था। लेकिन इन स्टेज कैरेज के सीट की संख्या उनके व्हील बेस के आधार पर निर्धारित सीट की संख्या से कम थी। इसके फलस्वरूप ₹ 4.20 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

²³ नालन्दा, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा ₹ 2.94 लाख हेतु मांग पत्र निर्गत कर दिया गया है, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मंगायी जा रही है।

मोटर वाहन के व्यवसायियों के मात्र एक ट्रेड सर्टिफिकेट के विरुद्ध 18,784 वाहन थे। इस प्रकार ₹ 11.06 लाख के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली नहीं हुई थी।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली की धारा 33 प्रावधित करता है कि धारा 39 के परन्तुक के प्रयोजन हेतु, व्यवसायी के स्वामित्व में किसी मोटर वाहन को निबंधन की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वह उस निबंधन पदाधिकारी से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस व्यवसायी के व्यवसाय का स्थान हो। पुनः उपरोक्त नियमावली के नियम 34 के अन्तर्गत ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने अथवा नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र 16 में किया जायेगा तथा उपयुक्त शुल्क (मोटर साईकिल/अशक्त वाहन: ₹ 50 प्रत्येक वाहन के लिए, अन्य: ₹ 200 प्रत्येक वाहन के लिए) भी साथ में जमा किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 81 में उल्लेखित है।

जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसराय में ट्रेड टैक्स पंजी के साथ संबंधित संचिकाओं की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (जुलाई 2016) कि वास्तविक व्यवसायियों को ट्रेड सर्टिफिकेट दिये गये थे। इनमें से चार व्यवसायियों की संचिकाओं की संवीक्षा की गई तथा हमने पाया कि व्यवसायियों ने जनवरी 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान मात्र एक ट्रेड सर्टिफिकेट के विरुद्ध 18,784 वाहन (दोपहिया: 17,668; चार पहिया: 1,116) प्राप्त किये थे, जिसका प्रमाण व्यवसायियों द्वारा दाखिल किया गया घोषणा था। इस प्रकार, ₹ 11.06 लाख²⁴ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली नहीं हुई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग के कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से सूचना की माँग की गई है।

अतिरिक्ति बालवाहकों पर जुर्माना कम आरोपित किये जाने के फलस्वरूप ₹ 3.79 लाख की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अनुसार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 113, 114 अथवा 115 के प्रावधानों, जो वजन की सीमा तथा वाहन के उपयोग को रोकने हेतु शक्ति प्रावधित करता है, की अवहेलना करते हुये कोई मोटर वाहन चलाता है अथवा चलाने की अनुमति देता है, तब ₹ 2000 के न्यूनतम जुर्माना तथा अधिक भार के लिये प्रति टन ₹ 1000 की अतिरिक्त राशि के साथ दंडित किया जाना है। पुनः यह उपबंधित करता है कि परिवहन करने वाले की लागत पर अधिक भार को कम किया जायेगा।

²⁴

संगणना:

दो पहिया: 17,665 (17,668-3) x ₹ 50 = ₹ 8,83,250

चार पहिया: 1,115 (1,116-1) x ₹ 200 = ₹ 2,23,000

कुल: ₹ 11,06,250

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में जब्ती पुस्तक तथा मनी रसीद की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2016) कि 15 प्रवर्तन पदाधिकारियों ने जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान 345 अतिभारित माल वाहकों को जब्त किया था लेकिन अतिभारित मात्रा के अनुरूप जुर्माना का आरोपण नहीं किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 3.79 लाख के जुर्माना का कम आरोपण हुआ। पुनः अतिभारित ट्रक का भार कम किये जाने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, क्योंकि लेखापरीक्षा को दस्तावेज मुहैया नहीं कराये गये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि उत्तर भेज दिया जाएगा, हालाँकि उतारे गये मालों को सुरक्षित रखने हेतु जगह उपलब्ध कराने हेतु जिला दण्डाधिकारियों से अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2016)।

वाणिज्यिक ट्रैक्टर एवं ट्रेलर के कर के दर के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

बिहार मोटर वाहन करधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उपधारा (7) के अनुसार कृषि उत्पाद के परिवहन हेतु उपयोग में लगाये गये ट्रैक्टर एवं ट्रेलर एकमुश्त कर के उद्देश्य से एक साथ संयोजित कर दिया जायेगा तथा 25 एच.पी. क्षमता तक के ट्रैक्टर तथा ट्रेलर जिसकी क्षमता तीन टन से अधिक न हो, के मामले में प्रति ट्रैक्टर-ट्रेलर ₹ 3000 की दर एवं 25 एच.पी. से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर तथा ट्रेलर जिसकी क्षमता पाँच टन से अधिक न हो, के मामले में प्रति ट्रैक्टर-ट्रेलर ₹ 5000 की दर पर कर आरोपित किया जायेगा।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (किशनगंज एवं पश्चिमी चम्पारण) में वाहन डाटाबेस के ऑनर टेबुल की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि नवम्बर 2012 एवं जनवरी 2016 के बीच निबंधित 523 कृषि ट्रैक्टर में से कृषि प्रयोजन हेतु निबंधित 94 ट्रैक्टर से वाणिज्यिक ट्रैक्टर हेतु विहित कर (अप्रैल 2013 से वाहन की लागत का दो प्रतिशत तथा सितम्बर 2014 से 4.5 प्रतिशत) आरोपित किये जाने के कारण एकमुश्त कर की अधिक वसूली की गयी थी। इस प्रकार करारोपण पदाधिकारी ने 94 ट्रैक्टर के मालिकों से ₹ 1.29 लाख की राशि का अधिक संग्रहण किया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

अनुशंसा-7: सरकार/विभाग को वाहन सॉफ्टवेयर में कर के दर के प्रावधानों का समय पर तथा सही निरूपण, कर रसीद को मैन्युअल निर्गत करना बंद किये जाने तथा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देय कर का भुगतान कर दिये जाने के बाद ही कर रसीद जनित किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिये।

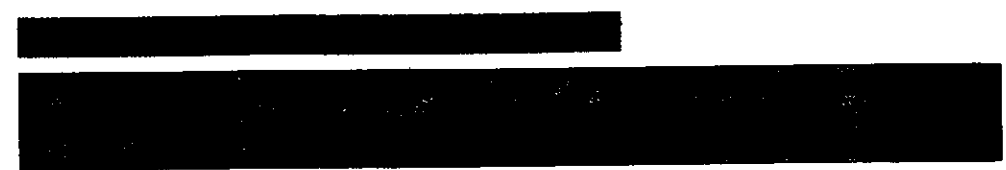
वाणिज्यिक ट्रैक्टर एवं ट्रेलर के कर के दर के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

बिहार वितीय नियमावली के नियम 37 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों का यह देखना कर्तव्य है कि सरकार को देय सभी राशि नियमित रूप से तथा शीघ्रता से निर्धारित, वसूली एवं लोक लेखा में जमा हो रही है। एक माह के

दौरान प्राधिकृत बैंक द्वारा संग्रहित शुल्क एवं कर अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कोषागार चालान के माध्यम से "0041-वाहनों पर कर" शीर्ष के अंतर्गत जमा कर दिया जाना अपेक्षित है तथा मार्च के माह में संग्रहित राशि 31 मार्च तक अंतरित कर देना है, ताकि एक वित्तीय वर्ष में संग्रहित सभी राशि सरकारी खाते में अंतरित हो जाये।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा जिला परिवहन कार्यालय, गया के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से शुल्क के रूप में संग्रहित ₹ 10.10 करोड़ दो दिनों से 10 महिनों तक के विलम्ब से सरकारी खाते में जमा किये गये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संग्रहित राजस्व को 15 दिनों के भीतर अंतरित किये जाने हेतु निदेश निर्गत कर दिये गये हैं। विभाग ने पुनः कहा कि सरकारी खाते में राजस्व के ऑन-लाईन जमा किये जाने हेतु ई-कुबेर प्रणाली प्रस्तावित है।



बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के तहत सभी लेन-देन बिना किसी विलम्ब के खाते में ले लिया जाना है तथा प्राप्त राशि तत्काल सरकारी खाते में जमा कर देना है। पुनः 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक की वैधता उसके निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह तक है।

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट पंजी की बैंक स्क्रोल के साथ तिर्यक जाँच के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2016) कि विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट फीस के रूप में प्राप्त (जनवरी एवं मार्च 2015 के बीच) 596 बैंक ड्राफ्ट भुनाये जाने हेतु बैंक में जून 2015 तक जमा नहीं किये गये थे। चूंकि इन ड्राफ्टों को भुनाये जाने हेतु विहित तीन महिने का समय 30 जून 2015 को समाप्त हो चुका था, ये बैंक ड्राफ्ट कालातीत हो गये थे तथा इन्हें पुनः वैध किये जाने की आवश्यकता थी। इनमें से 149 बैंक ड्राफ्टों का मुद्रा मूल्य ₹ 2.48 लाख थी तथा शेष 447 बैंक ड्राफ्टों के मुद्रा मूल्य अभिलेख पर नहीं पाये गये।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि 11,409 ड्राफ्ट कालातीत हो गये थे, जिन्हें पुनः वैध किये जाने हेतु संबंधित बैंकों में भेजे गये हैं। इनमें से ₹ 3.62 लाख से सन्निहित 134 बैंक ड्राफ्ट की राशि सरकारी लेखे में जमा कर दी गई है।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) की कंडिका 4.2.11.2 में यह अनुशंसा की गई थी कि बैंक ड्राफ्ट का निष्पादन एवं लेखांकन के अनुश्रवण हेतु प्रणाली विहित किया जाये। हालाँकि यह अनियमितता अभी भी जारी है।

अनुशंसा-8: सरकार/विभाग को सरकारी राजस्व के कोषागार में प्रेषण से संबंधित बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिये।

जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, वर्ष 2011-12 से 2015-16 के वर्षों हेतु आरंभिक शेष, माँग का सृजन, संग्रहण तथा संग्रहण हेतु लम्बित राजस्व निम्न तालिका-2.7 में दर्शायी गई है:

तालिका-2.7

संग्रहण हेतु लम्बित बकाये

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तःशेष के आँकड़ें अनुवर्ती वर्षों के आरंभ शेष के आँकड़ों से मेल नहीं खाते थे, जो इन आँकड़ों की सत्यता को संदिग्ध बना दिया। बकाये की राशि 11 प्रतिशत बढ़कर 1 अप्रैल 2011 के ₹ 173.15 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 192.20 करोड़ हो गई। सन्निहित राशि के मामले में बकाये के निष्पादन का दर 0.26 प्रतिशत से 1.47 प्रतिशत के बीच थी, जो काफी कम वसूली तथा अनुश्रवण के अभाव को संसूचित करता है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि नीलामवाद मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला दण्डाधिकारियों के साथ पत्राचार किया गया है।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के तहत अभुगतये पड़े कोई कर अथवा अर्थदण्ड भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय है। बिहार एवं ओड़िसा लोक माँग एवं वसूली (पी.डी.आर.), अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पदाधिकारी नीलामवाद प्रक्रिया आरंभ करने हेतु नीलामवाद पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजते हैं तथा इन मामलों के विवरणों की प्रविष्टि पंजी-9 में करते हैं। आगे

बकाये की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया आरंभ करने के लिए नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित पंजी-10 में इसकी प्रविष्टि की जाती है। पी.डी.आर. अधिनियम के तहत बोर्ड के अनुदेशों की कंडिका 46 के अनुसार पंजी-9 का मिलान प्रत्येक महिने नीलामवाद पदाधिकारी के पंजी-10 से किया जाना है।

- पंजी-9 का मिलान पंजी-10 से नहीं किया जाना

छ: जिला परिवहन कार्यालयों²⁵ में पंजी-9 की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि संबंधित पदाधिकारियों द्वारा पंजी-9 की प्रविष्टि को आवधिक रूप से पंजी-10 के साथ मिलान नहीं किया गया था। जिसके कारण पंजी-9 से नीलामवाद मामलों के निष्पादन की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को पंजी-9 का मिलान पंजी-10 से किये जाने हेतु निदेश निर्गत कर दिया गया है।

● नीलामवाद मामले आरंभ नहीं किया जाना

दो जिला परिवहन पदाधिकारियों (वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण) के कार्यालयों में राजस्व के बकायों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी एवं मई 2016) कि अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि हेतु ₹ 1.04 करोड़ की राशि से सन्निहित 146 मामले वसूली हेतु लंबित थे। किसी भी मामले में राजस्व के बकाये की वसूली हेतु बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित पी.डी. आर. अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के अनुरूप नीलामवाद मामले आरंभ किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वाहन डाटाबेस में वाहन मालिकों के विवरणों की प्रविष्टि तथा चूककर्ताओं को समय पर माँग पत्र निर्गत करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को निदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

अनुशंसा—9: सरकार/विभाग को लंबित नीलामवाद मामलों के निष्पादन हेतु नीलामवाद पदाधिकारी के साथ समन्वय में प्रभावी उपाय करनी चाहिये।

मिर्जापुर में एक सड़क पर स्थित मिर्जापुर जेल के बाहर से निकलते हुए, जिसने राजस्व के संग्रहण को

विभाग के संवर्ग-वार स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल (31 मार्च 2016 को) नीचे तालिका-2.8 में उल्लेखित है:

तालिका-2.8

स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

7	16.21
18	85.71

25

बेगुसराय, गया, कटिहार, किशनगंज, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

3	करारोपण पदाधिकारी	06	01	05 (63.33)
4	मोटर वाहन निरीक्षक	07	32	35 (52.23)
5	प्रवर्तन पदाधिकारी	07	22	10 (100)
6	प्रवर्तन निरीक्षक	25	02	23 (92)
7	प्रवर्तन अवर निरीक्षक	15	41	20 (32.78)
8	नावाहीय कर सहायक निरीक्षक	05	04	01 (10.57)

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मोटर वाहन निरीक्षक, सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक तथा करारोपण पदाधिकारी, जो विभाग के संचालन क्रियाकलापों हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है, के संवर्ग में काफी संख्या में रिक्तियाँ थी, जो राजस्व के संग्रहण तथा राज्य में वाहनों के अवैध परिचालन के रोक को प्रभावित कर सकती है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संवर्ग नियमावली तैयार की जा रही है।

[REDACTED]

[REDACTED]

विभाग के विभिन्न स्तरों के आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है तथा जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है तथा जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

हमने पाया कि परिवहन विभाग में अलग से आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। वित्त विभाग (लेखापरीक्षा कोषांग) परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान वित्त विभाग ने नमूना-जाँचित कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वित्त (लेखापरीक्षा) को अध्याचना भेज दी गई है (फरवरी 2016) तथा वित्त विभाग द्वारा अगले लेखापरीक्षा चक्र से निरीक्षण किया जायेगा।

[REDACTED]

विभाग के विभिन्न स्तरों के आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है तथा जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

विभाग के विभिन्न स्तरों के आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है तथा जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

हमने पाया कि विभाग में ऐसा कोई मैनुअल नहीं था। विभाग में मैनुअल के अभाव में उच्च प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखा जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि वाहन तथा सारथी डाटाबेस के उपयोग ने मैनुअल की आवश्यकता को कम कर दिया है। हालाँकि यह कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में संबंधित आदेशों की संवीक्षा की जा रही है तथा इस संदर्भ में तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्न प्रकटित किया:-

- वैलिडेशन जाँच तथा उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण राजस्व के गबन के मामले तथा अनियमित निबंधन के मामले।
- राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य का डाटाबेस संधारित नहीं किये जाने के कारण प्रदूषण जाँच केन्द्रों का लाइसेंस नवीकृत नहीं किये जाने के मामले।
- जिला परिवहन कार्यालयों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के बीच अन्तः-सम्बद्धता के अभाव के कारण वाहनों का अनियमित निबंधन तथा बगैर वैध परमिट के वाहनों का परिचालन के मामले।
- कर का गलत आरोपण, निजी वाहनों तथा वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड का कम आरोपण के मामले।

सरकार/विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- राजस्व संग्रहण के ऑकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे के साथ आवधिक मिलान यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिये कि वसूल की गई राजस्व का सही लेखांकन कोषागार में कर दी गई है।
- डाटा की अखंडता एवं सर्वर की सुरक्षा हेतु वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक पासवर्ड तथा आवश्यक वैलिडेशन जाँच को सुनिश्चित करना चाहिये तथा सभी जिला परिवहन कार्यालयों तथा वाहनों के व्यवसायियों के बीच अन्तः-सम्बद्धता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वाहनों का निबंधन वास्तविक मूल्य पर तथा वाहनों की बिक्री की तिथि के आधार पर हो सके। पुनः सरकार/विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वाहन निबंधन के बगैर परिचालित न हो तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कर्वाई प्रारंभ की जाए, जो बिना निबंधन के वाहनो के परिचालन की अनुमति देते हैं।
- प्रदूषण जाँच केन्द्रों का एक राज्य डाटाबेस संधारित करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही है तथा प्रमाणपत्र निर्गत करने के समय विहित प्रक्रिया अपनायी गयी है। यह विभाग को पटना एवं राज्य में वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।
- मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच तथा उसके परिणाम से संबंधित सही ऑकड़े दर्ज किये जाने एवं बगैर ड्राइविंग जाँच के वाहन चालकों को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाए।

- जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अन्तः-सम्बद्धता के द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित परमिट निर्गत किया जाए।
- वाहन सॉफ्टवेयर में कर के दर के प्रावधानों का समय पर तथा सही निरूपण, कर रसीद को मैन्युअल निर्गत किये जाने को बंद किये जाये तथा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देय कर का भुगतान कर दिये जाने के बाद ही कर रसीद जनित किये जाये।
- सरकारी राजस्व के कोषागार में प्रेषण से संबंधित बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया जाए।
- लंबित नीलामवाद मामलों के निष्पादन हेतु नीलामवाद पदाधिकारी के साथ समन्वय में प्रभावी उपाय करनी चाहिये।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:

- वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर वाहन कर/अतिरिक्त कर;
- निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर; तथा
- यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगुना तक अर्धदण्ड।

कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 2.6 से 2.10 में वर्णित हैं, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 9.42 करोड़ के कर का कम आरोपण, कर, फीस इत्यादि की कम वसूली हुई। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करें ताकि इन चूकों को रोका जा सके।

जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अन्तः-सम्बद्धता के द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित परमिट निर्गत किया जाए।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित, उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किए जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्धदण्ड का विधान है।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यदि कर या अर्थदण्ड अथवा दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है तो पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक से नीचे के स्तर का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्ता वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत करने हेतु समय सीमा भी विहित नहीं किया था।

हमने 29 जिला परिवहन कार्यालयों²⁶ के वर्ष 2014-15 की अवधि के कराधान पंजी एवं वाहन डाटाबेस/टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (जनवरी एवं दिसम्बर 2015 के बीच) कि 17 जिला परिवहन कार्यालयों²⁷ में 3,662 नमूना-जाँचित परिवहन वाहनों (निबंधित परिवहन वाहनों की कुल संख्या: 51,010) में से 698 वाहन के मालिकों ने मार्च 2011 एवं जुलाई 2015 के बीच की अवधि का ₹ 94.22 लाख के कर का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया था तथा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध बकाया की वसूली हेतु माँग पत्र निर्गत किया था। किसी भी मामले में वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन अथवा कर के भुगतान से छूट पाने हेतु दस्तावेजों के अभ्यर्पण संबंधी सूचना अभिलेख पर नहीं पाये गये। इस प्रकार ₹ 94.22 लाख के कर एवं ₹ 1.88 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई, जैसा कि परिशिष्ट-VI में वर्णित है। यह वाहन डाटाबेस के पुनरीक्षण में जिला परिवहन पदाधिकारियों की उदासीनता तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा कमजोर अनुश्रवण तंत्र को प्रदर्शित करता है, यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों में हमने इसे बार-बार इंगित किया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने मई 2016 में जिला परिवहन कार्यालय, सीवान के 17 मामलों में ₹ 5.75 लाख की वसूली तथा शेष वाहन मालिकों को ₹ 19.19 लाख का माँग पत्र निर्गत किया जाना प्रतिवेदित किया, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने फरवरी एवं नवम्बर 2015 के बीच कहा की बकायों की वसूली हेतु वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत की जाएगी एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मामले सरकार/विभाग को अगस्त 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, पश्चिमी चम्पारण और वैशाली (हाजीपुर)।

²⁶ अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, पश्चिमी चम्पारण और वैशाली (हाजीपुर)।

²⁷ अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण (छपरा), शेखपुरा, सीतामढ़ी और सीवान।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 प्रावधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन नहीं चला सकेगा जब तक कि वाहन निबंधित न हो। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 का नियम 33 यह प्रावधित करता है कि धारा 39 के परन्तुक के प्रयोजन हेतु, व्यवसायी के स्वामित्व में किसी मोटर वाहन को निबंधन की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी बशर्त कि वह उस निबंधन पदाधिकारी से व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस व्यवसायी के व्यवसाय का स्थान हो। उपरोक्त नियमावली के नियम 34 के अन्तर्गत व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र 16 में किया जायेगा तथा उपयुक्त शुल्क (मोटर साईकिल/अशक्त वाहन: ₹ पचास प्रत्येक वाहन के लिए, अन्य: ₹ दो सौ प्रत्येक वाहन के लिए) भी साथ में जमा किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 81 में उल्लेखित है।

पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 37 के अधीन व्यापार प्रमाण पत्र, उसके निर्गत या नवीकरण की तिथि से 12 माह तक प्रभावी होगा तथा उपरोक्त नियमावली के नियम 41 के अधीन उल्लेखित उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होगा।

हमने 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2014-15 की अवधि से संबंधित ट्रेड टैक्स पंजियों, संचिकाओं एवं वाहन डाटाबेस तथा वाहनों की प्राप्ति से संबंधित व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणी की संवीक्षा की तथा पाया (फरवरी एवं दिसम्बर 2015 के बीच) कि 12 जिला परिवहन कार्यालयों²⁸ में नमूना जाँच किये गये 109 वाहन के व्यवसायियों (236 व्यवसायियों में से) को अप्रैल 2012 एवं जुलाई 2015 के बीच की अवधि के दौरान 180 ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किये गये थे, जबकि इन व्यवसायियों ने इस अवधि में 2,04,759 वाहन प्राप्त किये थे, जैसाकि उनके द्वारा प्रपत्र बी-2 में दाखिल घोषणा से सुस्पष्ट था। यद्यपि निबंधन प्राधिकारियों को उनके स्वामित्व में रखे गये वाहनों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने शेष 2,04,579 वाहनों हेतु चूककर्ता व्यवसायियों के विरुद्ध ट्रेड सर्टिफिकेट फीस के लिये माँग सृजन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया था, जैसा कि उपरोक्त नियमावली के तहत अपेक्षित है। अतः इस चूक के कारण ₹ 1.30 करोड़ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित धारा 7, जैसा कि वित्त अधिनियमों (2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014) द्वारा संशोधित है, वैयक्तिक वाहनों, ट्रैक्टर, मैक्सी/कैब, तिपहिया एवं हल्के माल वाहनों पर एकमुश्त कर आरोपित किया जाना प्रावधित करता है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान 15 दिनों से अधिक तक के विलम्ब के लिये देय कर का 25 प्रतिशत से लेकर देय कर की राशि का दुगुने तक अर्थदण्ड का विधान है।

²⁸

औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, पूर्वी चाम्पारण (मोतीहारी), गोपालगंज, जमुई, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी एवं सीवान।

पुनः बिहार मोटर कराधान अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी मोटर वाहन, जिसका किसी अवधि के लिए, कर का भुगतान कर दिया गया है, उस अवधि में कर संशोधित हो गया हो, तब वाहन मालिक, कराधान पदाधिकारी को कर के अंतर राशि का भुगतान करेंगे, जो भुगतान किये गये कर एवं संशोधन के कारण वैसे वाहनों पर उस अवधि के लिए उच्च दर पर भुगतेय कर का अंतर राशि के समतुल्य होगा।

हमने जनवरी एवं नवम्बर 2015 के बीच 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा पाया कि 15 जिला परिवहन कार्यालयों²⁹ के कराधान पदाधिकारियों ने मई 2010 एवं जुलाई 2015 के बीच निबंधित 34,939 वाहनों (सभी नमूना जाँचित) में से 5,150 वाहनों (ट्रैक्टर, तिपहिया, मैक्सी/मोटर कैब तथा हल्के माल वाहकों) के मालिकों से ₹ 4.41 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं की, जैसा कि निम्न तालिका-2.9 में दर्शाया गया है :

तालिका-2.9

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना

जिला	वर्ष	वाहनों की संख्या	एकमुश्त कर/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना (₹)
अरवल	2010-11	100	100
औरंगाबाद	2010-11	100	100
भागलपुर	2010-11	100	100
बक्सर	2010-11	100	100
दरभंगा	2010-11	100	100
पूर्वी चम्पारण	2010-11	100	100
गोपालगंज	2010-11	100	100
जमुई	2010-11	100	100
जहानाबाद	2010-11	100	100
मधुबनी	2010-11	100	100
मुजफ्फरपुर	2010-11	100	100
सारण	2010-11	100	100
शेखपुरा	2010-11	100	100
शिवहर	2010-11	100	100
सीतामढ़ी	2010-11	100	100
अरवल	2011-12	100	100
औरंगाबाद	2011-12	100	100
भागलपुर	2011-12	100	100
बक्सर	2011-12	100	100
दरभंगा	2011-12	100	100
पूर्वी चम्पारण	2011-12	100	100
गोपालगंज	2011-12	100	100
जमुई	2011-12	100	100
जहानाबाद	2011-12	100	100
मधुबनी	2011-12	100	100
मुजफ्फरपुर	2011-12	100	100
सारण	2011-12	100	100
शेखपुरा	2011-12	100	100
शिवहर	2011-12	100	100
सीतामढ़ी	2011-12	100	100
अरवल	2012-13	100	100
औरंगाबाद	2012-13	100	100
भागलपुर	2012-13	100	100
बक्सर	2012-13	100	100
दरभंगा	2012-13	100	100
पूर्वी चम्पारण	2012-13	100	100
गोपालगंज	2012-13	100	100
जमुई	2012-13	100	100
जहानाबाद	2012-13	100	100
मधुबनी	2012-13	100	100
मुजफ्फरपुर	2012-13	100	100
सारण	2012-13	100	100
शेखपुरा	2012-13	100	100
शिवहर	2012-13	100	100
सीतामढ़ी	2012-13	100	100
अरवल	2013-14	100	100
औरंगाबाद	2013-14	100	100
भागलपुर	2013-14	100	100
बक्सर	2013-14	100	100
दरभंगा	2013-14	100	100
पूर्वी चम्पारण	2013-14	100	100
गोपालगंज	2013-14	100	100
जमुई	2013-14	100	100
जहानाबाद	2013-14	100	100
मधुबनी	2013-14	100	100
मुजफ्फरपुर	2013-14	100	100
सारण	2013-14	100	100
शेखपुरा	2013-14	100	100
शिवहर	2013-14	100	100
सीतामढ़ी	2013-14	100	100
अरवल	2014-15	100	100
औरंगाबाद	2014-15	100	100
भागलपुर	2014-15	100	100
बक्सर	2014-15	100	100
दरभंगा	2014-15	100	100
पूर्वी चम्पारण	2014-15	100	100
गोपालगंज	2014-15	100	100
जमुई	2014-15	100	100
जहानाबाद	2014-15	100	100
मधुबनी	2014-15	100	100
मुजफ्फरपुर	2014-15	100	100
सारण	2014-15	100	100
शेखपुरा	2014-15	100	100
शिवहर	2014-15	100	100
सीतामढ़ी	2014-15	100	100

²⁹ अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर एवं सीतामढ़ी।

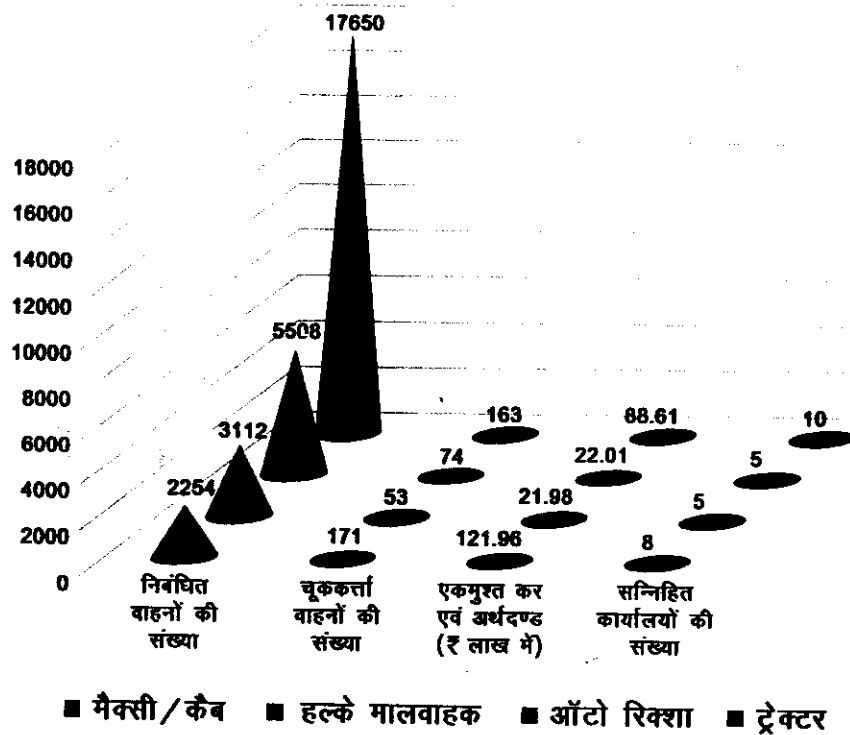
³⁰ भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं शिवहर।

³¹ अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण एवं शेखपुरा।

³² बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर।

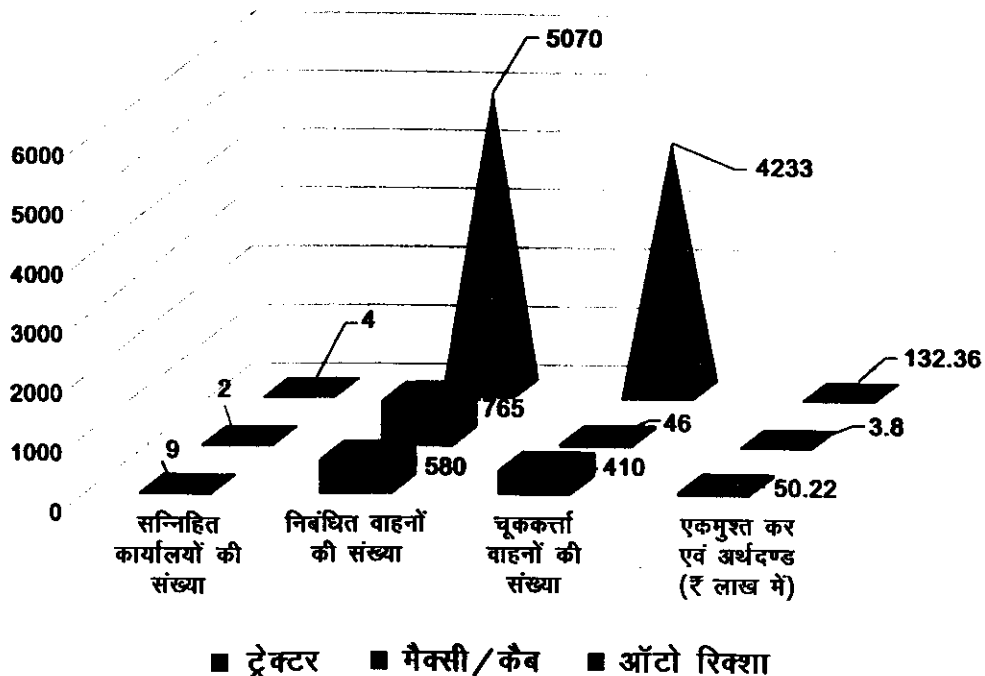
चार्ट-2.7

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना



चार्ट-2.8

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण कम किया जाना



इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने फरवरी एवं दिसम्बर 2015 के बीच कहा कि मांग पत्र निर्गत की जायेगी।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटावेस के टैक्स विलयरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा मार्च एवं दिसम्बर 2015 के बीच पाया कि चार जिला परिवहन कार्यालयों³⁶ के कराधान पदाधिकारियों ने मई 2010 एवं अगस्त 2015 के बीच निबंधित 4,125 वाहनों (सभी नमूना जाँचित) में से 428 वाहनों (ट्रैक्टर एवं मैक्सी/कैब) के मालिकों से एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 42.89 लाख अर्थदण्ड की वसूली नहीं की, जैसा कि निम्न तालिका 2.10 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.10

एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण

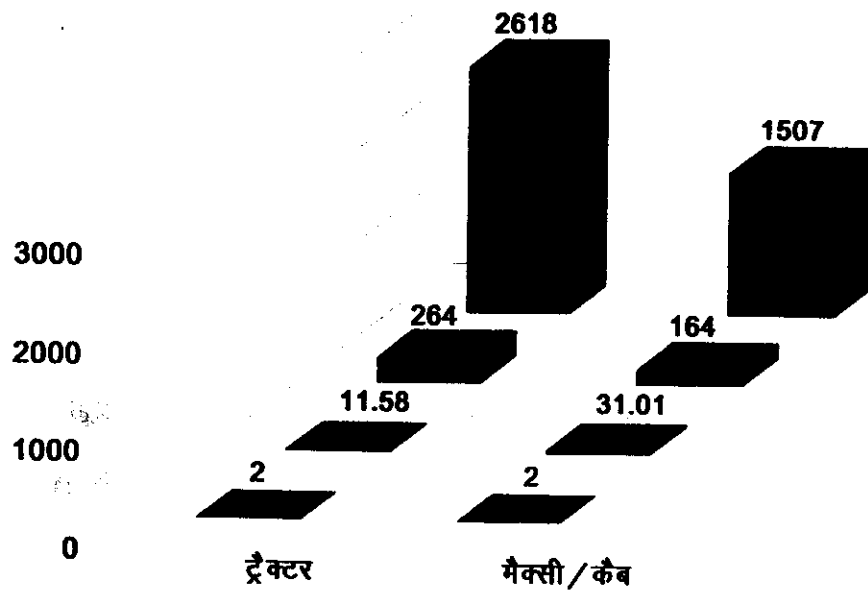
वाहन प्रकार	जिला	परिवहन कार्यालय	अर्थदण्ड (₹)	विवरण
मैक्सी/मोटर कैब	184	जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर, सारण	31.01	जनवरी 2015 एवं अगस्त 2015 के बीच निबंधित 1007 वाहनों में से 747 वाहनों के मालिकों से एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 31.01 लाख अर्थदण्ड का आरोपण किया गया था।

एकमुश्त कर का विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना, निम्न चार्ट-2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.9

³⁶ पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सारण और शिवहर।

एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण



■ सन्निहित कार्यालयों की संख्या

■ अर्थदण्ड (₹ लाख में)

■ चूककर्ता वाहनों की संख्या

■ निबंधित वाहनों की संख्या

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मांग पत्र निर्गत की जायेगी।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

सरकार/विभाग को एकमुश्त कर का आरोपण कम किये जाने हेतु दोषी जिला परिवहन पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई को सुनिश्चित करना चाहिए।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के अनुसार, व्यापार प्रमाण पत्र धारक, बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों को खरीददार को नहीं सौंपेंगे। पुनः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अनुसार, धारा 40 में धारित किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन के मालिक निबंधन प्राधिकारी को अथवा दूसरे विहित प्राधिकारी को विहित तरीके से वाहन का अस्थायी निबंधन प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निबंधन चिन्ह निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 3415 दिनांक 28 जुलाई 2009 से भी यह स्पष्ट कर दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन प्राधिकारी, व्यवसायी एजेंसियों को उनके मांग पर अस्थायी निबंधन संख्या का ब्लॉक उपलब्ध कराएँगे।

हमने 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2014-15 अवधि के वाहन डाटाबेस के ऑनर टेबल/निबंधन अभिलेखों की संवीक्षा की तथा तीन जिला परिवहन कार्यालयों³⁷ में पाया (मई और अगस्त 2015 के बीच) कि अप्रैल 2014 एवं मार्च 2015 के बीच 36,983 वाहनों (हल्के मोटर वाहन: 824 एवं दो पहिया: 36,159) का निबंधन किया गया था (सभी नमूना जाँचित) तथा व्यापार प्रमाण पत्र धारकों ने अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के बीच की अवधि के दौरान क्रेताओं को सभी वाहन बिना अस्थायी निबंधन चिन्ह आवंटित किये सौंप दिया था। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने उन वाहनों का स्थायी निबंधन कर दिया जिन्हें अस्थायी निबंधन के बिना क्रेताओं को सौंप दिया गया था, जो उपरोक्त अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेश का उल्लंघन था। इसके परिणास्वरूप ₹ 33.70 लाख की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जून एवं अगस्त 2015 के बीच कहा कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को अक्टूबर और नवम्बर 2015 के बीच प्रतिवेदित किया गया था। हमें अभी तक उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1992 के तहत निर्गत अधिसूचना (जून 2003) के अनुसार अगर किसी वाहन का मालिक अनुक्रम के बाहर की विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु आवेदन करता है, तब ₹ 5000 का अतिरिक्त निबंधन फीस प्रभारित होगा। विभाग ने व्यवसायियों के बिक्री बीजक के क्रमानुसार निबंधन संख्या के आवंटित ब्लॉक से निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु भी निदेशित (28 जुलाई 2009) किया था।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (बक्सर एवं पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन पंजी तथा वाहन डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने जनवरी एवं मार्च 2015 के बीच पाया कि 7 व्यवसायियों, जिन्हें डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के तहत निबंधन चिह्न निर्गत किए गए थे, ने क्रेताओं को अनुक्रम से बाहर 228 निबंधन संख्या (कुल 25,348 निबंधित एवं नमूना-जाँचित वाहनों में से) आवंटित किया था, जिस पर विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने विशिष्ट निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु व्यवसायियों से फीस की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। इस प्रकार ₹ 11.40 लाख के अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई, जैसा कि निम्न तालिका-2.11 में वर्णित है:

तालिका-2.11

अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)



इसे इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ने मार्च 2015 में कहा कि मांग हेतु सूचना निर्गत की जाएगी जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर ने फरवरी 2015 में कहा कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड

करने हेतु

क्यू आर

कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in